महत्वपूर्ण
संख्या- 370 /एक-11-2021

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक: 31 मई, 2021**

विषयः- ई-कुबेर के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को धनराशि रू0 1000/- अन्तरित किये जाने हेतु राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर उपलब्ध भरण-पोषण भत्ता माड्यूल मैनुअल प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-347/ एक-11 -2021-04(जी)/2015टी0सी0-2 दिनांक 18.05.2021 के क्रम में ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रु0 1000/- की धनराशि राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in को कोषागार के ई-कुबेर से इन्टीग्रेट करके बिना मैनुअल इण्टरवेंशन के धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जनपद कोषागार से ई-कुबेर के माध्यम से अन्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. अतः इस सम्बन्ध में राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर उपलब्ध भरण-पोषण भत्ता माड्यूल के संचालन हेतु मैनुअल की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त मैनुअल में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/निर्धारित चरणों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in